न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 135 / 2023

अनवान : –

1. इन्द्रावती पुत्री घड़सीराम जाति मेघवंशी निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
2. विमला पुत्री घड़सीराम जाति मेघवंशी निवासी बडबिराना तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. मीरा पत्नी रणजीत जाति मेघवंशी निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
2. कमला पुत्री रणजीत जाति मेघवंशी निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
3. मैना पुत्री रणजीत जाति मेघवंशी निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
4. घेरूराम पुत्र रामकरण जाति मेघवंशी निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
5. सहायक अभियंता विधुत विभाग ग्रामीण जोधपुर विधुत वितरण निगम खण्ड नोहर तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
7. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **सायलान**
श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **गैरसायलान**

निर्णय दिनांकः 01/08/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 377 / 351 की कुल 4.0470 हैक्ट भूमि में से 1 / 3 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 6 आरएमजी तहसील नोहर के खाता स0 86 / 85 की कुल 0.2020 हैक्ट भूमि में से 1 / 3 हिस्सा भूमि घड़सीराम पुत्र मानाराम व मानाराम पुत्र गणपत की पैदा कर्दा भूमि थी।

सायलान स0 1 व 2 मुतवफी घड़सीराम की पुत्रीया है तथा मानराम की पौत्री है गैरसायल स0 1 घडसीराम के पुत्र रणजीत की बेवा है तथा गैरसायल स0 2 व 3 रणजीत की लड़किया है। वादग्रस्त भूमि गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज है जिसका नाजायज फायदा उठाकर गैरसायल स0 1 ने सायलान स0 1 व 2 का हक खत्म करने की नियम से उक्त वादग्रस्त भूमि खाता स0 377 / 351 की कुल 4.0470 हैक्ट भूमि में गैरसायल स0 1 का मात्र 1 / 9 हिस्सा था लेकिन गैरसायल स0 1 ने सायलान का हक खत्म करने की मन्शा से उक्त समस्त 1 / 3 हिस्सा भूमि का दानपत्र दिखावटी व नुमाईशी तौर पर जात से शुन्य दान पत्र दिनांक 10.08.2021 को गैरसायल स0 4 घेरूराम पुत्र रामक[illegible] रजिस्ट्री करवा दिया। गैरसायाल स0 1 के उक्त भूमि में से केवल 1 / 9 हिस्सा भूमि [illegible] सायल स0 1 ने समस्त भूमि का दिनांक 10.08.2021 को दानपत्र करवा दिया। उक्त दानपत्र नियम विरूद्ध [illegible] गैरसायल स0 3 नाजायज फायदा उठाकर उक्त भूमि की मौका [illegible] रिकार्ड की स्थिति प[illegible] करने तथा बोर पर विधुत का कनेक्शन लेने की योजना बना रहा है अगर गैरसायलान अपने मकसद में

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.12 18:45:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

कामयाब हो जाते है तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी अतः गैरसायल को अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे की गैरसायलान रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 377/351 की कुल 4.0470 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 377/351 के ख0न0 682 की 4.0470 हैकट भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण प्रार्थीयान के हक हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उत्तरदाता जरिये दानपत्र रिकार्डेड खातेदार है तथा दानपत्र एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है जिस बाबत दावा सिविल न्यायालय मे क्षेत्राधिकार का है। वादग्रस्त भूमि बाबत एक वाद अनवानी इन्द्रावती बनाम मीरा वाद स0 775 दिनाक 25.08.2021 को पेश किया गया था जिसमें न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी नही किया गया इसलिए सायलान स्वयं ने खारिज करवा लिया तथा सायलान ने तथ्य छुपाकर पुन न्यायालय हाजा में इसी भूमि बाबत नया प्रार्थना पेश कर स्थगन प्राप्त कर लिया। अतः प्रार्थीयान का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि सायलान स0 1 व 2 मुतवफी घड़सीराम की पुत्रीया है तथा मानराम की पौत्री है गैरसायल स0 1 घडसीराम के पुत्र रणजीत की बेवा है तथा गैरसायल स0 2 व 3 रणजीत की लड़किया है। वादग्रस्त भूमि गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज है जिसका नाजायज फायदा उठाकर गैरसायल स0 1 ने सायलान स0 1 व 2 का हक खत्म करने की नियम से उक्त वादग्रस्त भूमि खाता स0 377/351 की कुल 4.0470 हैक्ट भूमि में गैरसायल स0 1 का मात्र 1/9 हिस्सा था लेकिन गैरसायल स0 1 ने सायलान का हक खत्म करने की मन्शा से उक्त समस्त 1/3 हिस्सा भूमि का दानपत्र दिखावटी व नुमाईशी तौर पर जात से शुन्य दान पत्र दिनांक 10.08.2021 को गैरसायल स0 4 घेरूराम पुत्र रामकरण के पक्ष में तस्दीक रजिस्ट्री करवा दिया। गैरसायाल स0 1 के उक्त भूमि में से केवल 1/9 हिस्सा भूमि आती है जबकि गैरसायल स0 1 ने समस्त भूमि का दिनांक 10.08.2021 को दानपत्र करवा दिया। उक्त दानपत्र नियम विरूद्ध है जबकि अप्रार्थीगण का कथन है कि उक्त दानपत्र आदिंनाक तक वैध है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त दानपत्र के [illegible] पेश नही किया गया है। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नही है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.12 18:45:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थीगण के। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने के कारण खारिज किया जाकर दिनांक 14.06.2023 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 06/0/24 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.12 18:45:44 IST
Reason: SelfAttested